UPSR010014902026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538**

जमानत आवेदन नं०-587/2026

राम विलास उम्र 58 वर्ष पुत्र राम खेलावन,

निवासी–हडिल्ला, दा0–मनसुखा, थाना–गिलौला, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–42/2026
धारा–80 (2), 85 बी0 एन0 एस0 व
धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट
थाना–गिलौला, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 20.07.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1–वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **राम विलास** की ओर से अपराध संख्या 42/2026, धारा 80 (2), 85 बी0 एन0 एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2–संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा घनश्याम ने थानाध्यक्ष थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 29.03.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी लड़की का नाम रंजना था। उसने अपनी लड़की रंजना उम्र लगभग 20 वर्ष की शादी लगभग 10 माह पहले विपक्षी प्रभुदयाल पुत्र राम विलास निवासी हड़िल्ला थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती के साथ किया था। विपक्षी राम विलास पुत्र अज्ञात दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रू0 की मॉग करते थे। इसी बात को लेकर विपक्षी उसकी लड़की को मारते पीटते व मानसिक प्रताड़ना देते थे। उसकी लड़की फोन द्वारा सारी बातें उससे बताती थी। विपक्षीगणों की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर दि0 28.03.2026 को उसकी लड़की रंजना ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। वह सूचना को आया है। आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

वादी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त एवं एक अन्य के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.07.20 16:35:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त तथाकथित घटना से अनभिज्ञ व अज्ञान है तथा महज प्रथम सूचक द्वारा परेशान करने हेतु विद्वेषपूर्ण तरीके से अभियुक्त को फंसाया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढंत एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है। आवेदक/अभियुक्त अत्यन्त गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। आवेदक/अभियुक्त के यहॉ शादी लड़की वाले से मांग कर की जाती है। आवेदक/अभियुक्त के यहॉ दहेज या अन्य किसी प्रकार का उपहार नहीं चलता है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई भी दहेज की मॉग नहीं की है और ना ही अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। आवेदक/अभियुक्त को फर्जी फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर उक्त अभियोग में कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

4– इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त मृतका का ससुर है। आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त ने मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री रंजना को प्रताड़ित किया गया जिसके कारण रंजना ने आत्महत्या कर ली। मृतका की मृत्यु शादी के 10 माह के अन्दर हुई है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा केस डायरी एवं उसके साथ उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अपराध संख्या 42/2026, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का ससुर है। शव विच्छेदन आख्या में मृतका की मृत्यु का कारण Asphyxia due to Antemortem Hanging बताया गया है। केस डायरी के साथ वादी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को दिये गयं प्रार्थनापत्र जिसमें आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त को निर्दोष बताया गया है, का इस स्तर पर कोई महत्व नहीं है। मृतका की मृत्यु शादी के 10 माह के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त के घर में हुई है। अतः अपराध की गम्भीरता, अपराध हेतु अधिकतम दण्ड, अपराध में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका तथा साक्षियों के केस डायरी में अंकित बयानों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त राम विलास का

जमानत आवेदन इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **राम विलास** की ओर से अपराध संख्या 42/2026, धारा 80 (2), 85 बी0 एन0 एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 20.07.2026